"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 359] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 अगस्त 2017 — श्रावण 26, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2017

क्रमांक 7616/डी. 180/21-अ/प्रारू./छ. ग./17 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 14-08-2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 9 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) अधिनियम, 2017.

वित्तीय वर्ष 2017-2018 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र.3) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए राज्य की संचित निधि में से 17,77,57,24,453 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2017 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए एक हजार सात सौ सतहत्तर करोड़ संतावन लाख चौबीस हजार चार सौ तिरपन मात्र रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं एवं प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
.	भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	0	2,35,12,00,000	2,35,12,00,000
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	8,52,10,000	0	8,52,10,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	7,00,000	0	7,00,000
03	पुलिस	राजस्व	14,59,06,100	0	14,59,06,100
		पूंजी	5,60,95,830	0	5,60,95,830
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	8,85,00,000	0	8,85,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	21,00,000	0	21,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,63,00,000	0	1,63,00,000
		पूंजी	2,26,00,00,000	0	2,26,00,00,000
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	50,34,91,500	0	50,34,91,500
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	7,00,00,000	7,60,000	7,07,60,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	50,10,00,000	0	50,10,00,000
		पूंजी	51,40,26,024	0	51,40,26,024
13	कृषि	राजस्व	5,51,66,400	0	5,51,66,400
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,60,00,000	0	1,60,00,000
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	36,88,65,000	0	36,88,65,000
16	मछली पालन	पूंजी	8,68,35,000	0	8,68,35,000
18	श्रम	राजस्व	7,00,100	0	7,00,100
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	71,60,80,400	0	71,60,80,400
		पूंजी	100	0	100
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	10,000	0	10,000
		पूंजी	41,57,00,000	0	41,57,00,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	100	0	100
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	1,00,00,100	50,00,000	1,50,00,100
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	4,30,01,200	0	4,30,01,200
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	15,48,00,100	11,50,000	15,59,50,100
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	3,05,00,000	0	3,05,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	पूंजी	6,00,000	0	6,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	10,00,00,100	0	10,00,00,100
		पूंजी	37,50,00,100	0	37,50,00,100
34	समाज कल्याण	राजस्व	8,88,59,166	0	8,88,59,166

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
36	परिवहन	राजस्व	100	0	100
37	पर्यटन	राजस्व	1,51,57,000	0	1,51,57,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	81,58,17,000	0	81,58,17,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	1,51,00,78,800	0	1,51,00,78,800
		पूंजी	1,32,38,49,000	0	1,32,38,49,000
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल	पूंजी	11,50,00,200	0	11,50,00,200
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	0	16,06,000	16,06,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	10,00,000	0	10,00,000
47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	राजस्व	3,13,34,100	0	3,13,34,100
		पूंजी	67,32,199	0	67,32,199
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	9,54,04,000	0	9,54,04,000
		पूंजी	19,00,00,000	0	19,00,00,000
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	राजस्व	100	0	100
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	16,00,00,100	0	16,00,00,100
		पूंजी	5,93,20,000	0	5,93,20,000
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व	35,00,00,000	0	35,00,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	36,93,98,318	0	36,93,98,318
		पूंजी	32,59,64,200	0	32,59,64,200
65	विमानन विभाग	पूंजी	100	0	100
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राजस्व	3,54,00,000	0	3,54,00,000
		पूंजी	100	0	100
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	200	0	200
		पूंजी	58,28,12,016	0	58,28,12,016
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	33,20,000	0	33,20,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	राजस्व	4,00,00,000	0	4,00,00,000
71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक विभाग	राजस्व	39,00,000	0	39,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	6,29,90,400	0	6,29,90,400
		पूंजी	2,00,00,100	0	2,00,00,100
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	94,95,61,000	0	94,95,61,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	37,47,58,000	0	37,47,58,000
		पूंजी	1,06,31,25,100	0	1,06,31,25,100
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	20,56,39,000	0	20,56,39,000
	योग -	राजस्व	7,96,46,26,984	2,35,47,16,000	10,31,93,42,984
		पूंजी	7,45,13,81,469	50,00,000	7,45,63,81,469
	वृहद योग		15,41,60,08,453	2,35,97,16,000	17,77,57,24,453

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2017

क्रमांक 7616/डी. 180/21-अ/प्रारू./छ. ग./17 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-8-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 9 of 2017)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 3) ACT, 2017.

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2017-2018.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty- eighth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation (No. 3) Act, 2017.

Issue of Rs. 17,77,57,24,453 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2017-2018.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule, including the sums Specified in column (3) of the Schedule of the Chhattisgarh Appropriation Act, 2017, amounting in the aggregate to the sums of One thousand seven hundred seventy seven crore fifty seven lakhs twenty four thousand four hundred fifty three rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2017-2018 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said financial year.

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
(1)	(2)			(3)	
			Rs.	Rs.	Rs.
.	Charged Appropriation- Interest Payments and and Servicing of Debt.	Revenue	0	2,35,12,00,000	2,35,12,00,000
01	General Administration	Revenue	8,52,10,000	0	8,52,10,000
02	Other expenditure Pertaining to General Administration Department	Revenue	7,00,000	0	7,00,000
03	Police	Revenue	14,59,06,100	0	14,59,06,100
		Capital	5,60,95,830	0	5,60,95,830
04	Other expenditure pertaining to Home Department	Revenue	8,85,00,000	0	8,85,00,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
06	Expenditure pertaining to Finance Department	Revenue	21,00,000	0	21,00,000
07	Expenditure pertaining to Commercial Tax Department	Revenue	1,63,00,000	0	1,63,00,000
		Capital	2,26,00,00,000	0	2,26,00,00,000
08	Land revenue and district administration	Revenue	50,34,91,500	0	50,34,91,500
11	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department	Revenue	7,00,00,000	7,60,000	7,07,60,000
12	Expenditure pertaining to Energy Department.	Revenue	50,10,00,000	0	50,10,00,000
		Capital	51,40,26,024	0	51,40,26,024
13	Agriculture	Revenue	5,51,66,400	0	5,51,66,400
14	Expenditure pertaining to Animal Husbandry Department	Revenue	1,60,00,000	0	1,60,00,000
15	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under Scheduled Caste Sub Plan	Revenue	36,88,65,000	0	36,88,65,000
16	Expenditure pertaining to Fisheries Department	Capital	8,68,35,000	0	8,68,35,000
18	Labour	Revenue	7,00,100	0	7,00,100
19	Public Health and Family Welfare	Revenue	71,60,80,400	0	71,60,80,400
		Capital	100	0	100
20	Public Health Engineering	Revenue	10,000	0	10,000
		Capital	41,57,00,000	0	41,57,00,000
21	Expenditure pertaining to Housing and Environment Department	Capital	100	0	100
23	Water Resources Department	Capital	1,00,00,100	50,00,000	1,50,00,100
24	Public works-roads and bridges	Capital	4,30,01,200	0	4,30,01,200
27	School Education	Revenue	15,48,00,100	11,50,000	15,59,50,100
28	State Legislature	Revenue	3,05,00,000	0	3,05,00,000
29	Administration of Justice and Elections	Capital	6,00,000	0	6,00,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department	Revenue Capital	10,00,00,100 37,50,00,100	0 0	10,00,00,100 37,50,00,100
34	Expenditure pertaining to Social welfare Department	Revenue	8,88,59,166	0	8,88,59,166
36	Transport	Revenue	100	0	100
37	Tourism	Revenue	1,51,57,000	0	1,51,57,000
39	Expenditure pertaining to Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department	Revenue	81,58,17,000	0	81,58,17,000
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue Capital	1,51,00,78,800 1,32,38,49,000	0 0	1,51,00,78,800 1,32,38,49,000
42	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-roads and bridges	Capital	11,50,00,200	0	11,50,00,200
43	Expenditure pertaining to Sports and Youth Welfare Department	Revenue	0	16,06,000	16,06,000
44	Expenditure pertaining to Higher Education Department	Revenue	10,00,000	0	10,00,000
47	Man-Power Planning and Technical Education Department	Revenue Capital	3,13,34,100 67,32,199	0 0	3,13,34,100 67,32,199
53	Financial assistance to Urban bodies under Scheduled Caste Sub Plan	Revenue Capital	9,54,04,000 19,00,00,000	0 0	9,54,04,000 19,00,00,000
54	Expenditure pertaining to Agricultural Research and Education	Revenue	100	0	100
55	Expenditure pertaining to Women and Child Welfare	Revenue Capital	16,00,00,100 5,93,20,000	0 0	16,00,00,100 5,93,20,000
60	Expenditure pertaining to District plan Schemes	Revenue	35,00,00,000	0	35,00,00,000
64	Scheduled Caste Sub Plan.	Revenue Capital	36,93,98,318 32,59,64,200	0 0	36,93,98,318 32,59,64,200
65	Aviation Department	Capital	100	0	100

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
66	Welfare of Backward Classes and Minorities	Revenue	3,54,00,000	0	3,54,00,000
		Capital	100	0	100
67	Public Works-Buildings	Revenue	200	0	200
		Capital	58,28,12,016	0	58,28,12,016
68	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-buildings	Capital	33,20,000	0	33,20,000
69	Expenditure pertaining to Urban Administration and Development Department- Urban Welfare	Revenue	4,00,00,000	0	4,00,00,000
71	Electronics and Information Technology Department	Revenue	39,00,000	0	39,00,000
79	Expenditure pertaining to Medical Education Department	Revenue	6,29,90,400	0	6,29,90,400
		Capital	2,00,00,100	0	2,00,00,100
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	94,95,61,000	0	94,95,61,000
81	Financial assistance to Urban bodies	Revenue	37,47,58,000	0	37,47,58,000
		Capital	1,06,31,25,100	0	1,06,31,25,100
82	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under the tribal area sub-plan	Revenue	20,56,39,000	0	20,56,39,000
		Total-Revenue	**7,96,46,26,984**	**2,35,47,16,000**	**10,31,93,42,984**
		Capital	**7,45,13,81,469**	**50,00,000**	**7,45,63,81,469**
	Grand Total		**15,41,60,08,453**	**2,35,97,16,000**	**17,77,57,24,453**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.